संख्या-88/2024/240/35-4-2024/35-4099/52/2021

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलिया।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 29 फरवरी,2024

विषय: **जनपद बलिया वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति**।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद- बलिया में शासनादेश संख्या-199/2021/1741/35-4-2021, दिनांक 25.10.2021 के साथ सपठित शासनादेश संख्या-67/2022/208/2022, दिनांक 09 मार्च, 2022 द्वारा सड़क निर्माण से सम्बंधित 01 कार्य की रू.4651.53 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में रू.100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-234/2022/842/35-4-2022/001-35-4099/52/2021, दिनांक 05.08.2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू.1062.88 लाख तथा शासनादेश संख्या-470/2022/1744/35-4-2022/001-35-4099/52/2021, दिनांक 28.12.2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू.1162.88 लाख एवं शासनादेश संख्या-97/2023/185/35-4-2023/001-35-4099/52/2021, दिनांक 15.02.2023 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू.1162.88 लाख, शासनादेश संख्या-787/2023/1249/35-4-2023/35-4099/52/2021,दिनांक 05.09.2023 द्वारा पंचम किश्त के रूप में रू. 930.31 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। इस प्रकार अब तक कुल 4418.95 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी बलिया के पत्रांक:96/त्व0आ0वि0यो0/2021-22, दिनांक 05.02.2024 द्वारा उक्त शासनादेशों से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का पूर्ण व्यय होना इंगित करते हुये अवशेष धनराशि (5 प्रतिशत धनराशि) की मांग की गयी है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए छठी किश्त के रूप में अवशेष रू.232.58 लाख (रूपये दो करोड़ बत्तीस लाख अठ्ठावन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
टेंगरही से जय प्रकाश नगर तक (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।	4651.53	4418.95	232.58

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 25.10.2021, दिनांक 09 मार्च, 2022, दिनांक 05.08.2022, दिनांक 28.12.2022, दिनांक 15.02.2023 एवं दिनांक 05.09.2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0 प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं तत्संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या:10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,32,58,000 (रूपये दो करोड़ बत्तीस लाख अठ्ठावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं तत्संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या:10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-88/2024/240(1)/35-4-2024/35-4099/52/2021-तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, आजमगढ मण्डल।
8- प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी बलिया।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी बलिया।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बलिया ।
13- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग] बलिया।
14- संयुक्त निदेशक स्टेट ट्रान्सफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15- गार्ड फाईल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।